

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1305/2017

1. Ninuwa Ram Son of Bhawani Singh, Aged About 56 Years, Resident of Bhamtipura, Dholpur, District Dholpur
2. Deepak Kumar @ Deepu Son of Ninuwa Ram, Aged About 37 Years, Resident of Bhamtipura, Dholpur, District Dholpur

----Claimant Appellants

Versus

1. Rakesh Ojha Son of Shri Sardari Lal, Resident of Pati Gali, Dutt Pura, Murena Tehsil And Distt. Murena (M.P.) Owner
2. United India Insurance Company Limited Through Its Branch Manager, Branch Office At Dhookot Road, Dholpur

----Non Claimant Respondents

For Appellant(s) : Mr. D.K. Garg, Adv.

For Respondent(s) : None Present

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

01/05/2026

1. अपीलार्थी निनुआराम व दीपक कुमार उर्फ दीपू की ओर प्रस्तुत यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धौलपुर (राज.) (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-06/2015, निनुआराम व अन्य बनाम राकेश औझा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2016 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थी निनुआराम व दीपक कुमार उर्फ दीपू की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु संयुक्ततः क्लेम याचिका प्रस्तुत की

गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची **निनुआराम** को कुल **85,556/- रुपये** तथा याची **दीपक कुमार उर्फ दीपू** को कुल **69,600/- रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **09 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी **निनुआराम व दीपक कुमार उर्फ दीपू** की कोई आय निर्धारित नहीं कर अपीलार्थी **निनुआराम** के पक्ष में कुल 85,556/- रुपये तथा अपीलार्थी **दीपक कुमार उर्फ दीपू** के पक्ष में 69,600/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि मामले की दुर्घटना में अपीलार्थीगण के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई हैं। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में कोई राशि अपीलार्थीगण को नहीं दिलवाई गई है तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व अन्य मदों में भी कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. बीमा कम्पनी की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं।

5. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी/आहत निनुआराम :-

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 19.04.2013 की बताई गयी है तथा हस्तगत मामले की घटना में अपीलार्थी **निनुआराम** के शरीर पर साधारण व गंभीर चोटें कारित होना बताया गया है, किन्तु अपीलार्थी **निनुआराम** की ओर से उसके शरीर पर कारित हुई स्थायी

निर्योग्यता के संबंध में कोई स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र आदि पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है।

7. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी निनुआराम को चार अस्थिभंग की चोटों की मद में, शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व पौष्टिक आहार की मद में एकमुश्त 30,000/— रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो कम प्रतीत होती है, जिसमें बढ़ोतरी किया जाना हम उचित समझते हैं।

8. ऐसी स्थिति में यह न्यायालय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा—निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी निनुआराम को कारित हुई 04 गंभीर चोटों की मद में प्रति चोट 15,000/— रुपये के दर से कुल 60,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी निनुआराम को दिलवाया जाना उचित समझती है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी निनुआराम को पौष्टिक आहार की मद में व यातायात व परिवहन पर व्यय राशि के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी निनुआराम को विशेष आहार की आवश्यकता रही होगी तथा अपीलार्थी को अस्पताल आना—जाना पड़ा होगा। अतः पौष्टिक आहार की मद में हम, 10,000/— रुपये तथा यातायात व परिवहन पर व्यय राशि के मद में 5,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी निनुआराम को पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण अपीलार्थी निनुआराम को उसके इलाज पर व्यय हुई राशि के मद में कुल 55,556/— रुपये की राशि मेडिकल बिलों की मद में दिलवाई गयी है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी निनुआराम को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसरण में हम, शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 11,250/— रुपये की राशि पृथक से अपीलार्थी निनुआराम को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निनुआराम निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :-

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	04 गंभीर चोटों की मद में	60,000 /—
2.	पौष्टिक आहार की मद में	10,000 /—
3.	यातायात व परिवहन पर व्यय हुई राशि के मद में	5,000 /—
4.	इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में	55,556 /—
5.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	11,250 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि		1,41,806 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		85,556 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		56,250 /—

अपीलार्थी/आहत दीपक कुमार उर्फ दीपू :-

13. हस्तगत मामले की घटना में अपीलार्थी दीपक कुमार उर्फ दीपू के शरीर पर भी साधारण व गंभीर चोटें कारित होना बताया गया है, किन्तु अपीलार्थी दीपक कुमार उर्फ दीपू की ओर से उसके शरीर पर कारित हुई स्थायी निर्योग्यता के संबंध में कोई स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र आदि पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी दीपक कुमार उर्फ दीपू को सात चोटों की मद में, शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व पौष्टिक आहार की मद में एकमुश्त 20,000 /— रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो कम प्रतीत होती है, जिसमें बढ़ोतरी किया जाना हम उचित समझते हैं।

15. ऐसी स्थिति में यह न्यायालय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी दीपक कुमार उर्फ दीपू को कारित हुई अस्थि भंग की गंभीर चोटों की मद में 45,000 /— रुपये तथा शेष साधारण चोटों की मद में 10,000 /— रुपये, इस प्रकार साधारण व गंभीर चोटों की मद में कुल 55,000 /— रुपये की राशि अपीलार्थी दीपक कुमार उर्फ दीपू को दिलवाया जाना उचित समझती है।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी दीपक कुमार उर्फ दीपू को पौष्टिक आहार की मद में व यातायात व परिवहन पर व्यय राशि के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी दीपक कुमार उर्फ दीपू को विशेष आहार की आवश्यकता रही होगी तथा अपीलार्थी को अस्पताल आना-जाना पड़ा होगा। अतः पौष्टिक आहार की मद में हम, 10,000 /— रुपये तथा यातायात व परिवहन पर व्यय राशि के मद में 5,000 /— रुपये की राशि अपीलार्थी दीपक कुमार उर्फ दीपू को पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

17. विद्वान अधिकरण अपीलार्थी दीपक कुमार उर्फ दीपू को उसके इलाज पर व्यय हुई राशि के मद में कुल 49,600 /— रुपये की राशि मेडिकल बिलों की मद में दिलवाई गयी है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

18. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी दीपक कुमार उर्फ दीपू को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में हम, शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 17,500 /— रुपये की राशि पृथक से अपीलार्थी दीपक कुमार उर्फ दीपू को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

19. विवेचन अनुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट दीपक कुमार उर्फ दीपू निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :—

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	साधारण व गंभीर चोटों की मद में	55,000 /—
2.	पौष्टिक आहार की मद में	10,000 /—
3.	यातायात व परिवहन पर व्यय हुई राशि के मद में	5,000 /—
4.	इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में	49,600 /—
5.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	17,500 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि		1,37,100 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		69,600 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		67,500 /—

20. तदनुसार अपीलार्थी **निनुआराम व दीपक कुमार उर्फ दीपू** द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट **निनुआराम** को **85,556/- रुपये** तथा अपीलार्थी **दीपक कुमार उर्फ दीपू** को **69,600/- रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर क्रमशः अपीलार्थी/क्लेमेंट **निनुआराम** को **1,41,806/- रुपये** तथा अपीलार्थी **दीपक कुमार उर्फ दीपू** को **1,37,100/- रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाए जाते हैं।
21. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति राशि पर 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलवाया गया है। अतः इस निर्णय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि पर भी याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
22. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।
23. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J